# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

**पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस।**

मुकदमा नं0 09 / 2024

मालचन्द जाजोरीया पुत्र पोखरराम जाति रैगर नि0 वोयास तह0 जोबनेर

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार जोबनेर (जयपुर ग्रामीण) राज0।

प्रतिवादी

वाद बावत घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :— 1. श्री रामावतार सिंह विद्वान अधिवक्ता वादी

2. सरकार पैरोकार

दिनांक :— 16 / 08 / 2024

**निर्णय**

वादी ने यह वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 151 / 54 रकबा 0.0252 हे0 एवं खसरा नं0 152 / 54 रकबा 1.3025 हे0 वाके ग्राम चन्दपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। वादी को बचपन में मालीराम एवं मालचन्द नामो से पुकारते थे और नामकरण के समय वादी का नाम मालचन्द निकाला गया। इस कारण वादी को मालीराम व मालचन्द जाजोरीया नामो से पुकारा जाता था, किन्तु वादी का नाम राशनकार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट एवं विवाह प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजो में मालचंद जाजोरिया पुत्र पोखरमल दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 151 / 54 रकबा 0.0252 हे0 एवं खसरा नं0 152 / 54 रकबा 1.3025 हे0 वाके ग्राम चन्दपुरा वादी की माता नानूडी देवी के नाम अंकित थी। नानूडी देवी के स्वर्गवास उपरांत फोती नामान्तरण भरा गया। उस समय नामान्तरण में वादी का वास्तविक नाम मालचन्द जाजोरिया की बजाय मालीराम जो बचपन का बोलता नाम था, अंकित कर दिया गया। राजस्व रिकार्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण मुझे ऋण सुविधाओं एवं राज्य सरकार से मिलने वाली अन्य सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा रिकार्ड शुद्धि के काफी प्रयास किए गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड शुद्ध नहीं किया गया। इसलिए मुझे यह वाद पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। अतः दावा वादी का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नम्बर 151 / 54 रकबा 0.0252 हे0 एवं खसरा नं0 152 / 54 रकबा 1.3025 हे0 वाके ग्राम चन्दपुरा तह0 जोबनेर में वादी का नाम मालीराम के स्थान पर मालचन्द जाजोरिया पुत्र पोखरराम किये जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जोबनेर ने दिनांक 01 / 08 / 2024 को न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब तथा फर्द मौका रिपोर्ट इस आशय की पेश

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

है कि आराजी खसरा नम्बर 151/54 रकबा 0.0252 हे0 एवं खसरा नं0 152/54 रकबा 1.3025 हे0 वाके ग्राम चन्दपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। मालीराम पुत्र पोखरराम जाति रैगर एवं मालचन्द पुत्र पोखरराम जाति रैगर एक ही व्यक्ति है। तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम बोबास में नहीं रहता है।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में राजस्थान राज पत्र दिनांक अगस्त 10, 2023 की प्रमाणित प्रति पेश की, जिसके अनुसार वादी का वर्तमान नाम माल चन्द जाजोरिया है।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, जबाब तहसीलदार एवं फर्द मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। आराजी खसरा नम्बर 151/54 रकबा 0.0252 हे0 एवं खसरा नं0 152/54 रकबा 1.3025 हे0 वाके ग्राम चन्दपुरा तह0 जोबनेर में स्थित है। जिसमें वादी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मालीराम पुत्र पोखरराम दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन पहचान पत्र में वादी का नाम मालचन्द जाजोरिया पुत्र पोखरराम दर्ज है। ग्राम में उपस्थित मौतबिरानों ने बताया है मालीराम पुत्र पोखरराम जाति रैगर एवं मालचन्द पुत्र पोखरराम जाति रैगर एक ही व्यक्ति है। तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम बोबास में नहीं रहता है। राजस्थान राज पत्र दिनांक अगस्त 10, 2023 के अनुसार भी वादी का वर्तमान में नाम मालचन्द जाजोरिया ही है। जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**क्रियात्मक आदेश**

वादी का वाद बाबत् घोषण खातेदारी दुरुस्ती इन्द्राज स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बोबास के विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 151/54 रकबा 0.0252 हे0 एवं खसरा नं0 152/54 रकबा 1.3025 हे0 वाके ग्राम चन्दपुरा में वादी का नाम मालीराम पुत्र पोखरराम के स्थान पर मालचन्द जाजोरिया पुत्र पोखरराम दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। शेष इन्द्राज यथावत रहेगें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)